अपील सूचना अधिकार संख्या 90/2019 (RCMS 2019/00238) गुरचरण सिंह पुत्र पूरन सिंह निवासी डी–9, अम्बिका सिटी, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर (मो.न. : 94143–28016) बनाम अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.01.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गुरचरण सिंह उपस्थित हुए और **कथन किया कि** उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गुरचरण सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 13.08.2019 के आवेदन पत्र द्वारा अति. जिला कलक्टर से निम्न सूचना चाही थी:

> मेरे द्वारा दिनांक 29.03.2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय के जन सुनवाई कार्यक्रम में लालगढ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमं सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 4(सी) से 23 जुलाई, 1972 को हटाने का संशोधन करने हेतु निवेदन किय गया था जो तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा आपके कार्यालय के पत्र संख्या सी 5–18 /1358 दिनांक 16.04.19 से भेजा गया था, जो तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा आपके क्या कार्यवाही की गई, सूचना देने का श्रम करें।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी लोक सूचना अधिकारी भू.अ. कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ9()भू.अ./लो.सू.अ./2019/6332 दिनांक 02.12.2019 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री गुरचरण सिह द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना प्रश्नात्मक रूप में होने के कारण यह सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के तहत उपलब्ध करवाया जाना वर्जित है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के तहत सूचना वर्जित होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।
>
> -sd-
> लोक सूचना अधिकारी
> भू.अ., कलक्ट्रेट, श्रीगगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी, भू.अ., कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा दिये गये जवाब के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है, जबकि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2019 पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई है जो कि प्रश्नात्मक रूप में नहीं है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर उचित नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी, भू.अ., कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर **को आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार शीघ्र उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, भू.अ. कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर